3. पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ

भू–जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण किसी क्षेत्र विषेष में चापाकलों से पानी खींचने में कठिनाई होने लगे अथवा चापाकल सूखने की स्थिति में पहुच जाए तथा कुएँ, आहर एवं तालाब सूखने लगें तो माना जाएगा कि उक्त क्षेत्र विषेष में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल संकट के दौरान मानव तथा यथानुसार मवेषियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाइयाँ की जाएंगी :–

नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना

3.1 राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए जाएग। इन नियंत्रण कक्षा में प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा उन पर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (DOCUMENTATION) किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्षों में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें आने वाली सूचनाओं तथा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

जिला टास्क फोर्स की बैठक

3.2 पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आवष्यकतानुसार प्रतिदिन की जाएगी। स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक होगी।

टैंकरां से पानी पहुंचाने की व्यवस्था

3.3 आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रषासन की देख–रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारिया द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवष्यकतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकरों से जिस गाँव/टोलों में

जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के कार्य में पूर्ण पारदर्षिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा पति व्यक्ति जल की आपूर्त्ति का आकलन कर तद्नुरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिष्चित किया जाएगा कि जिन जल स्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/ सहायक अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

<u>नए जल स्रोतों की पहचान</u>

3.4 जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू–जल श्रोतों की पहचान के लिए राष्ट्रीय भू–जल बोर्ड की मद्द ली जाएगी। इस प्रकार चिन्हित जल श्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

<u>नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन</u>

3.5 जहाँ भू–जल उपलब्ध हो वहाँ भू–जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। उसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवष्यकतानुसार नये नलकूपों का अधिष्ठापन कर जल के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कड़े एवं चट्टानी भू–भागों में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवष्यक रिग मषीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

<u>पुराने चापाकलों की मरम्मति</u>

3.6 अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मति के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित गैंगमैनों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम को पर्याप्त साजो–समान से लैस किया जाएगा। यदि नियमित गैंगमैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संविदा/आउट सोसिग से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा। प्रखंड स्तर पर गैंगमैनों की टीमों के बीच क्षेत्रों का बंटबारा कर दिया जाएगा, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रहेगो तथा

अकार्यरत चापाकलों की मरम्मत करती रहगो। अकार्यरत चापाकलों की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने पर भी गैंगमैनों की संबंधित टीमों को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। गैंगमैनों की टीम दिन भर किये गये कार्य का ब्यौरा उसी दिन शाम को प्रखंड नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला

3.7 नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाय जाएग। जहाँ कहीं चापाकलों में पानी का स्तर नीचे जाने, चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्त्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्त्ति नहीं होने को स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकाष में आयेगें, वहां आवष्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रषासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना

3.8 लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालन की आवष्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल स्रोतों के रूप में की गयी हो, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाइल टीमें कार्य पर लगी रहेंगी। मोबाइल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाइल टीमों को आवष्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण

3.9 बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् संपर्क कर जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए पर्षद द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएंगे।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्त्ति

3.10 बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्त्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवष्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्त्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकेगी। परंतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जन तद्नुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

मवेशी शिविरों को कार्यरत करना

3.11 आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु षिविर लगाए जाएंगे। इन षिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु षिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आमजन तक पहुँचाई जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक

3.12 आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जिले में उत्पन्न जल संकट तथा उससे निपटने के लिए किये जा रहे कार्रवाइयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जब कभी प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार संबंधित एजेन्सियों को निदेष देने की आवष्यकता पड़ेगी प्राधिकार अपनी शक्तियों का पयोग करते हुए आवष्यक निदेष देगा तथा अन्य प्रबंधन करेगा।

आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक

3.13 आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा नियमित बैठक कर जिलों में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की जाती रहेगी। जहाँ कहीं वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की आवष्यकता होगी, आपातकालीन प्रबंधन समूह आवष्यक निर्णय ले सकेगा। उक्त निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे।

<u>रेलवे से पानी की ढुलाई</u>

3.14 पेयजल संकट की स्थिति गहराने के साथ संभव है कि रेलवे से भी प्रभावित जिलों में जल के टैंकर भेजने पड़ें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेषन तक जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। उक्त रेलवे स्टेषन से संबंधित जिलों तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

****